THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (CAPT. JAI NARAYAN PRASAD NISHAD): (a) Yes, Sir.

(b) The news item is not based on facts. Wind data collected under the Wind Resource Assessment Programme of the Ministry is based on actual long-term measurements and is quite reliable and adequate for planning of wind power projects. As a result of initiatives taken on several fronts and conducive policies introduced, a wind power capacity of 900 MW has been established in the country by the end of the Eighth Plan, mostly by the private sector. This is the third largest wind power capacity set up in any country in the World, after the USA (1600 MW) & Germany (1500MW).

Thus, there has not been any setback to the programme. This is borne out by the fact that even during 1996-97, a capacity of about 170 MW has been added despite the cash crunch in the economy.

(c) The Ministry of Non-Conventional Energy Sources has already issued detailed guidelines to all concerned for proper planning, implementation, and operation & maintenance of the wind power generation. During the 9th Plan, special emphasis is proposed to be given to enlargement of the wind resource data base and to technology development and upgradation.

कूड़े कचरे से बिजली उत्पादन

3549. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत** राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कूड़े कचरे से बिजली उत्पादन के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे; और

(ग) क्या इससे स्वास्थ्य को कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद): (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में कूड़े-कचरे सहित "शहरी" म्यूनिसिपल और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम" आरंभ किया है। इस योजना में, विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों, जैसे-संवर्धित अवमूल्यन, परियोजना आयात पर रियायती उत्पाद शुल्क, रियायती सीमा शुल्क, राज्य विद्युत बोर्ड-ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए विद्युत के सम्प्रेषण, संग्रहण और तीसरे पक्ष को विद्युत बिक्री के लिए सुविधा और 5% वार्षिक वृद्धि के साथ राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा 2.25 रु०/किवा० घं० की दर पर विद्युत की खरीद, ब्याज आर्थिक राज सहायता, निवेश आर्थिक राज सहायता, कूड़े कचरे संहित अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति/विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रदर्शन और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। कूड़े-कचरे से विद्युत उत्पादन के लिए ऐसी परियोजनाएं देश के विभिन्न शहरों में लगाए जाने की संभावना है।

(ग) जी नहीं। दूसरी ओर, इन संयंत्रों के पर्यावरण-अनुकूल होने के कारण इनसे स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम करने में सहायता मिलेगी।

महासागर विकास संबंधी कार्यकलाप

3550. **श्री अजीत जोगी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष महासागर विकास विभाग द्वारा महासागर विकास से संबंधित कौन-कौन से कार्यकलाप किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में वर्ष-वार कितनी राशि खर्च की गयी; और

(ग) इस संबंध में विभाग की उपलब्धियां क्या रही हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगत राम अलघ): (क) और (ख) पिछले दो वर्ष के दौरान महासागर विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाएं/परियोजनाएं/कार्यक्रम तथा उन पर किए गए खर्च का ब्यौरा विवरण मे दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ग) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभाग की कुछ प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:—

— अंटार्कटिक के लिए वार्षिक वैज्ञानिक अभियान रवाना करना और ड्रिल तथा अन्य